न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 122/2021

1. जसवन्त सिंह
2. मंगल सिंह
3. काला सिंह पिसरान सन्ता सिंह
4. कैलाशकौर पुत्री सन्ता सिंह जाति सिख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. जुबेर पुत्र दीनू जाति मेव
2. मलकीयत सिंह पुत्र वचन सिंह जाति सिख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी (भरतपुर)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थीगण
2. श्री यशपाल सैनी वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :–18/02/2022

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2833/0.19 वांके ग्राम सहसन प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थीगण के पिता सन्ता सिंह की व अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी खाता संख्या 549, 550 सम्मलित खातो की आराजी थी जिनका विधिवत विभाजन इन्तकाल संख्या 5278 दिनांक 14/02/2008 को किया जाकर प्रार्थीगण के पिता सन्ता सिंह के 1/2 हिस्से में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विभाजित किया जाकर हिस्से में आया जिसमें से कुछ आराजी को प्रार्थीगण के पिता द्वारा बेचान किया जा चुका है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 01/08/2016 को हो चुकी है जिसके प्रार्थीगण असल वारिसान है तथा प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 को अपने पिता के जीवन काल से ही अपनी

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी मुत0 पर खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करते चले आ रहे है तथा शान्ति पूर्वक कब्जा है। इसलिए अब राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत इन्द्राज दर्ज होता चला आ रहा है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कराकर उनके स्थान पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने आपस में षडयन्त्र रचकर प्रार्थीगण के पिता सन्ता सिंह के खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 2833/0.19 जिसका साविक नम्बर 2312/0.19 को अवैध विधि विरूद्ध व बिना अधिकार के एक कागजी बयनामा के साथ एक शपथ पत्र अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 28/05/2021 को संलग्न किया कि खसरा नम्बर 2833/0.19 बांके ग्राम सहसन प्रथम तहसील पहाडी मेरी स्वंय की खातेदारी की आराजी है कोई आबादी में नहीं है। कोई स्थगन आदेश नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसका मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा संलग्न किया गया। इस प्रकार झूठे वयनामा दिनांक 28/05/2021 को अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम बयनामा कराकर राजस्व कर्मचारियों से साज कर 4 दिन के अन्दर ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई मौका कब्जा की बाबत जाँच किये दाखिल खारिज दर्ज कर दिया जबकि आज भी आराजी खसरा नम्बर 2833/0.19 पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त बतौर खातेदार है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वयनामा के वक्त ही आराजी का कब्जा क्रेता को प्राप्त करना होता है इसलिए उक्त फर्जी बयनामा पूर्व से ही शून्य व वातिल बेअसर है तथा दाखिल खारिज संख्या 102 दिनांक 03/06/2021 भी पूर्व से ही शून्य व वातिल व बेअसर है। प्रार्थीगण का अपनी आराजी पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के घर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आये और आकर कहने लगे कि हमने तुम्हारी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2833/0.19 का वयनामा आपस में षडयन्त्र रचकर अप्रार्थी संख्या 1 को करा दिया है अब हम तुम्हारी उक्त आराजी पर अवैध कब्जा कर लेगे व जो हमने खसरा नम्बर को अपने नाम कराया है उसे दीगर लोगो को रहन वय मुन्तकिल कर देगे। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने उक्त धमकी दिनांक 06/07/2021 को स्पष्ट शब्दो में बांके ग्राम सहसन तहसील पहाडी में दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव ना हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई चंद रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि बे आराजी खसरा नम्बर 2833/0.19 बांके ग्राम सहसन प्रथम तहसील पहाडी को दीगर लोगो को रहन वय मुन्तकिल ना करे कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत ना करें। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

आया। अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया उसके विरूद्ध दिनांक 11/02/2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 11/02/2022 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान करने की नियत से निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 1721/0.13, 2833/0.19, 7087/1720/0.08 का अप्रार्थी संख्या 2 मलकियत सिंह मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी था। अप्रार्थी संख्या 2 को अपनी निजी जरूरत के लिये रूपयों की आवश्यकता थी जिसने अपनी कब्जाशुदा खातेदारी की आराजी का बेचान का सौदा अप्रार्थी संख्या 1 से किया अप्रार्थी संख्या 1 ने सद्भावना पूर्वक आशय से स्वच्छ हाथों से बिना किसी द्वेषभावना के अप्रार्थी संख्या 2 से आराजी का रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 28/05/2021 को अपने पक्ष में प्रतिफल अदा करते हुये । तस्दीक कराया तथा विक्रेता अप्रार्थी संख्या 2 से मौके पर कब्जा प्राप्त किया तभी से आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। मुताबिक बयनामा आराजी मुत0 का राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के हक विधिक प्रावधानों के अनुरूप सही दाखिल खारिज दर्ज किया गया जिसकी भलीभांति जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व से ही थी उक्त बयनामा प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व ही करा लिया प्रार्थीगण द्वारा उक्त बयनामा को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने की रिलीव चाही जिसके सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। बयनामा दिनांक 28/05/2021 से ही अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुत0 पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदशुदा आराजी को हडपने की नियत से पेश किया है जो काबिले खारिज है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण ने दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु किया है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थीगण के पिता सन्ता सिंह की व अप्रार्थी संख्या 2 की खाता संख्या 549, 550 सम्मलित खातो की आराजी थी जिनका विधिवत विभाजन इन्तकाल संख्या 5278 दिनांक 14/02/2008 को किया जाकर प्रार्थीगण के पिता सन्ता सिंह के 1/2 हिस्से में मुताबिक राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रिकॉर्ड विभाजित किया जाकर साविक खसरा संख्या 2312/0.19 हिस्से में आया था। जिसका हाल खसरा नम्बर 2833/0.19 निर्मित हुआ है। परन्तु बन्दोबस्त पश्चात हाल खसरा नम्बर 2833/0.19 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में आने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को इसका बेचान कर दिया गया है। इन सभी तथ्यों का निर्धारण मूल दावे में साक्ष्य एवं तनकी के आधार पर भविष्य में होगा। परन्तु उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज है। आराजी पूर्व में प्रार्थीगण के पिता सन्ता सिंह की व अप्रार्थी संख्या 2 की सम्मलित खातो की आराजी थी। विभाजन के पश्चात साविक खसरा संख्या 2312/0.19 प्रार्थीगण के पिता सन्ता सिंह के हिस्से में था। परन्तु बन्दोबस्त पश्चात हाल खसरा नम्बर 2833/0.19 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में आने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को इसका बेचान कर दिया गया है। अगर अप्रार्थी संख्या 01 आराजी का अन्य जगह बेचान कर देता है तो प्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में ही निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 2833/0.19 हैक्टर बांके ग्राम सहसन तहसील पहाडी पर तौफैसला मूल बाद राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner